न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2023 (निगरानी)
जी.सी.एम.एस. नं. – 2023/6

उनवान

1– हितेश कुमार मेहरा आत्मज स्व.कैलास चन्द मेहरा निवासी सहकारी के पास इटावा, तहसील पीपल्दा हाल महावीर नगर द्वितीय कोटा।

2– संतोष बाई पुत्री स्व. कैलास चन्द मेहरा पत्नि रामसिंह निवासी ग्राम आमलदा तहसील श्योपर ,जिला म0प्र0।

(निगराकार)

बनाम

1. मुकेश मेहरा आ0 स्व. कैलास चन्द मेहरा स्व. कैलास चन्द मेहरा सहकारी के पास इटावा, तहसील पीपल्दा।
2. विमला बाई पत्नि मुकेश मेहरा निवासी सहकारी के पास इटावा, तहसील पीपल्दा ।
3. ललित मेहरा आ0 स्व. कैलास चन्द मेहरा स्व. कैलास चन्द मेहरा सहकारी के पास इटावा, तहसील पीपल्दा।
4. नगर पालिका इटावा,जर्ये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका इटावा,तहसील पीपल्दा।

(गैरनिगराकार)

उपस्थित :– अभिभाषक श्री नरेन्द्र कुमार नन्दवाना (निगराकार)
अभिभाषक श्री रघुवीर यादव (गैर निगराकार 1 ता 3)
अभिभाषक श्री मुकट बिहारी पारेता (गैर निगराकार 4)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज.अधिनियम पट्टा न.21–01

दिनांक 2.10.2021 नगर पालिका इटावा

निर्णय दिनांकः– 24/4/2026

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम इटावा नगर पालिका इटावा में निगराकार के पिता कैलासचन्द का एक मकान व उसके साथ का खाली भूखण्ड खसरा नम्बर 1786 की भूमि में स्थित है जो आबादी में आ चुकी है। उपरोक्त भूमि पर निगराकार का पुश्तैनी मकान बना हुआ है। जिसमें कैलासचन्द जी के नाम से बिजली का कनेक्शन हो रहा है तथा उक्त पुश्तैनी मकान में निगराकार व गैरनिगराकार निवास करते चले आ रहे है। उक्त मकान पुश्तैनी होने से कैलासचन्द की मृत्यु दिनांक 17.12.2002 व माता मनभर की मृत्यु दिनांक 27.12.2009 को हो जाने के पश्चात उसके सभी

अति॰ जिला कलेक्टर
कोटा

वारिसान निगराकार व गैरनिगराकार न. 1 व 3 का संयुक्त रूप से मालिकाना कब्जा व अधिकार चला आ रहा है। समय के अनुसार कैलासचन्द की पुत्रियो का विवाह हो गया व निगराकार न.1 रोजगार हेतु कोटा आ गया तथा निगराकार समय समय पर व त्योहार पर उक्त मकान में आते जाते रहे है। उक्त मकान मे कैलासचन्द के चारों वारिसान का 1/4,1/4 हिस्सा है। किन्तु माता पिता की मृत्यु के बाद गैर निगराकार न.1 ने अपने आपको उक्त मकान का मालिक बता कर उक्त मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.6.2017 को नगर पालिका में पेश किया जिस पर झूठे शपथ पत्र पेश कर उक्त विवादित पुश्तैनी मकान व भूमि का पट्टा निगराकार न.4 ने गैर निगराकार 1 व 2 के नाम राजस्थान स्टेट गर्वमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के तहत आवासीय पट्टा दिनांक 2.10.2021 को जारी कर दिया। जो अवैध है। जबकि उक्त भूमि के वारिसान को सुने बिना नगर पालिका को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। क्योकी उक्त मकान व भूमि निगराकार की पैतृक व पुश्तैनी है जिसका गैर निगराकार न.1 अकेला मालिक नही हो सकता है। उक्त पट्टें की जानकारी निगराकार को पट्टें की नकल दिनांक 17.11.2022 को प्राप्त होने पर हुई है। नकल प्राप्त करने से लेकर निगरानी पेश करने में व्यतित हुए समय को कन्डोन करते हुए निगराकार द्वारा यह निगरानी अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का पट्टा नं. **PSKSA** – 21–01 दिनांक 2.10.2021 निरस्त फरमाया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रदान किये जावे।

निगरानी सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। गैर निगराकार कम 1 ता 3 की ओर से अभिभाषक श्री रघुवीर यादव व गैरनिगराकार कम 4 की ओर से अभिभाषक श्री मुकट बिहारी पारेता द्वारा वकालतनामा पेश किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील निगराकार द्वारा उक्त निगरानी नगर पालिका द्वारा जारी पट्टा **PSKSA** – 21–01 दिनांक 2.10.2021 के विरूद्व उक्त निगरानी दिनांक 6.01.2023 को प्रस्तुत की गई है,जो विलम्ब से प्रस्तुत हुई है। वकील निगराकार द्वारा जैर निगरानी आदेश की जानकारी नकल प्राप्त करने के बाद होना जाहिर किया है। अतःन्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील गैरनिगराकार कम 4 द्वारा दोराने बहस कथन किया कि वकील निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी में पट्टा नगर पालिका द्वारा जारी किया गया है। नगर पालिका द्वारा जारी पट्टें की निगरानी सुननें का अधिकार इस न्यायालय को नही है। अतःनिगरानी खारिज कि जावे।

उक्त निगरानी वकील निगराकार द्वारा नगर पालिका इटावा द्वारा जारी पट्टा **PSKSA**–21–01 दिनांक 2.10.2021 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत पेश की गई है। जबकि उक्त पट्टा नगर पालिका द्वारा जारी किया गया है। न्यायालय, वकील गैर निगराकार कम 4 के कथनो से सहमत है कि नगर पालिका द्वारा जारी पट्टे की निगरानी सुनने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

अतः निगरानी क्षेत्राधिकार व श्रृवधाधिकार मे नही होने के कारण खारिज की जाती है । वकील निगराकार संक्षम न्यायालय में निगरानी दायर कर राहत प्रदान करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24/4/2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अति. जिला कलक्टर
कोटा

मुद्रा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा